

11/9  
20

पञ्जाबी वकील रेखाका पारीक के मिल लवकी  
आवेदन पर जेदा दुई वकील पारीक न आवेक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व  
अहकाय जो  
तारीख में

धारा 152 CrP के तहत जिला न्यायाधीश  
जिला न्यायाधीश निर्णय दिनांक 18.02.20 को पत्र  
अनुसार अनुसार अतिरिक्त डिवी में गई। अतिरिक्त  
डिवी में पैरा नं. 3 कुल जिला 17 की  
पत्र 4 लिखा गया जो मही जिला पाठ  
अतिरिक्त आवक है। आवेदन 152 CrP  
का पतावली के उपलब्ध दस्तावेजों का  
अवलोकन किया गया। आवेदन 152 CrP  
स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय दिनांक  
18.02.2020 को जारी अतिरिक्त डिवी के  
पैरा नं. 03 में जिला-4 कुल रकबा  
4.1154 लगान रुपये 12.35 की पत्र  
जिला-17 कुल रकबा 5.26 लगान रुपये  
90 कर के आदेश दिए जाते हैं। पतावली  
दाखिल कराए।

— इकरा  
सहायक कलक्टर (जस्टिस ट्रेक)  
बैतानगर (सीकर)